Proposal to Float Bonds by Andhra Pradesh

2965. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government of Andhra Pradesh have sought the permission of the Central Government to float N.R.I. bonds for implementation of the Telugu Ganga Project;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Floatation of project or State specific NRI bonds has been felt neither desirable nor feasible.

न्यू बैंक आफ इंडिया में घपला

2966. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यू बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा करोड़ों रूपयों का घपला करने संबंधी एक मामला प्रकाश मे आया है;

(ख) यदि हां, तो घपले के इस मामले की जांच कौन सी एजेंसियां कर रही हैं। और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इस बारे मे क्या जानकारी मिली हैं; और

(ग) अभी तक दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, न्यू बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं अन्यों के विरूद्ध मैसर्स के०वाई०जे० काटन कनेक्शन (प्र०) लि० तथा मैसर्स सुनैना इन्टर प्राइजेज को ऋण सुविधाओं की मंजूरी के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अन्तर्गत एक नियमित मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 14 अन्यों (जिनमें 6 बैंक कर्मचारी सम्मिलित हैं) के आवासीय/कार्यालय परिसरों में तलाशियां ली गई हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार इस स्तर पर विभिन्न परिसरों की तलाशी के दौरान खोज/पहचान/जब्ती और तलाशी के दौरान एकत्र की गई सूचना का ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) न्यू बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा 6 कर्मचारियों तथा अन्यों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 31.1.1992 को आर०सी० सं० 1/ए/92-एस०आई०यू० (एक्स) दर्ज किया है। दो अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां वापस ले ली गई हैं। एक अधिकारी को पहले ही निलंबित कर दिया गया है तथा एक अन्य अधिकारी को अन्य मामलों के संबंध में बैंक की सेवा से निकाल दिया गया है।

Death of a NRI Passenger due to torture by Custom Officials

2967. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in 'Gujarat Samachar' daily of Ahmedabad on the 13th February, 1992 regarding death of a Non-Resident Indian passenger because of torture by the custom officials;

(b) whether it is also a fact that there is too much harassment to the passengers coming from abroad at Ahmedabad airport by the customs officials;

(c) what are the reasons for torturing of a NRI passenger by the customs officials at Ahmedabad airport; and

(d) what step Government propose to take to stop the harassment to the NRIs coming from abroad at Ahmedabad airport?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Government is aware of the news-item published in 'Gujarat Samachar' of 13.2.1992 regarding the death of a non-resident Indian passenger.

The flight of the said passenger landed at Ahmedabad international airport on 6.2.92 at about 3.15 AM; the passenger's baggage arrived on the conveyor belt at 5 AM (Approx). On Customs check the baggage was found to contain approx. 9 litres of alcohol against the permissible limit of 0.95 litre for a passenger. Besides, prohibition is in force in the State of Gujarat. The alcohol was confiscated and a penalty of Rs. 6000 imposed on the passenger who was neither detained nor interrogated nor tortured. The time-schedule of his arrival